न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.

पत्रावली संख्या : 102/24 (विविध प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नम्बर : 2024/414

1. श्री अर्जुनसिंह पिता मांगीलाल बड़गुर्जर निवासी मावली गांव तहसील मावली जिला उदयपुर राज0।

................प्रार्थी

बनाम

1. श्री राजकुमार पिता मांगीलाल बड़गुर्जर निवासी मावली गांव तहसील मावली जिला उदयपुर राज0।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)

................विपक्षीगण

उपस्थित :— 1. श्री कल्याणसिंह चुण्डावत, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम
निर्णय

दिनांक : 28.10.2024

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा मावली पटवार हल्का मावली तहसील मावली जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 5024/2925 रकबा 0.2266 हैक्टर, आराजी नम्बर 5025/2926 रकबा 0.3318 हैक्टर भूमि वर्तमान रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम स्वतंत्र रूप से खातेदारी हक से अंकित है। मुझ प्रार्थी की भूमि के पश्चिम उत्तरी पड़ौस में आराजी नम्बर 2925 व 2926 कृषि भूमि स्थित है जो वर्तमान विपक्षी संख्या 1 नाम पर दर्ज है। विपक्षी संख्या 1 मेरी कृषि भूमि की सीमा को लेकर आए दिन विवाद करता है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णित भूमि की पश्चिमी उत्तरी दिशा की सीमा का सीमांकन कराया जाकर स्थायी पत्थरगड़ी कराई जावें तथा विपक्षी संख्या 1 को पाबंद किया जावें कि वो मेरी खातेदारी एवं कब्जे काश्त आराजीयात में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करें, नुकसान नही पहूंचावे और मेरी कृषि भूमि का मुझ प्रार्थी एवं मेरे परिवारजनों को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, कच्चा/पक्का निर्माण कार्य नही करें, किसी प्रकार की रूकावट पैदा नही करें, न ही उक्त कार्य अपने नौकर चाकर एजेन्ट से ही करावें। साथ ही मेरी खातेदारी की भूमि विपक्षी संख्या 1 के कब्जे में पायी जावे तो उसका कब्जा भी मुझ प्रार्थी को विपक्षी संख्या 1 से दिलाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.07 17:37:29 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने एवं प्रार्थी की भूमि की पत्थरगड़ी किये जाने में कोई आपत्ति नही होना जाहीर किया। विपक्षी 2 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से राजपैराकार तहसीलदार द्वारा जवाब पेश नही करना चाहा। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थी की खातेदारी हक की भूमि है जिसमें विपक्षी संख्या 1 का किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रार्थी की भूमि की पश्चिमी उत्तरी दिशा का सीमांकन करवाकर पत्थरगड़ी करवाए जाने का आदेश प्रदान करावें।
3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 की बहस को समायत किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचें है कि मौजा मावली पटवार हल्का मावली तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 662 पर दर्ज आराजी नम्बर 5024/2925, 5025/2926 किता 2 कुल रकबा 0.5584 हैक्टर भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार होकर प्रार्थी के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है। उक्त आराजीयात में विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा निहित नही है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा भी प्रार्थी की भूमि की पत्थरगड़ी की जाती है तो कोई आपत्ति नही होना जाहीर किया है। इसलिये प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी हक की आराजियात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।
4. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/–रूपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा मावली पटवार हल्का मावली तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 662 पर दर्ज आराजी नम्बर 5024/2925, 5025/2926 किता 2 कुल रकबा 0.5584 हैक्टर भूमि पश्चिमी–उत्तरी दिशा का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 की उपस्थिति में की जावे । फीस कमिश्नर प्रार्थी मौके पर अदा करें।
5. तहसीलदार मावली को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।
6. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2024.11.07 17:37:29 IST
Reason: SelfAttested